

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)**

S. No. PC-VI/ 86

RBE No.: 49/2009

No. PC-VI/2008/I/RSRP/1

dated 17-03-2009

The General Managers/CAO(R),  
All Indian Railways & Production Units.  
(As per mailing list)

**Sub:- Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008- Schedules for Revised Scales of Pay.**

In continuation to Annexure 'B' of Schedule circulated vide Ministry of Railways' letter no. PC-VI/ 2008/I/RSRP/1 dated 11-09-2008 (RBE No. 108/2008) as further amended vide this Ministry's letter dated 22-09-2008 (RBE No.124/2008), 31-10-2008 (RBE No.162/2008) and dated 19-11-2008 (RBE No. 184/2008), the President is pleased to decide that the following may be inserted as indicated against each, to the said letters:-

SN	Post	Pre-revised 5 <sup>th</sup> CPC Scale (Rs.)	Revised Pay Band & Grade Pay		
			Name of Pay Band	Corresponding Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)
1	2	3	4	5	6

**7 SIGNAL & TELECOMMUNICATION  
ENGINEERING DEPARTMENT:**

**7.3 Telephone Operators :**

(i) Superintendent (Telephone)      6500-10500      PB-2      9300-34800      4600

(Recommendations of the 6<sup>th</sup> CPC on pay scales for certain other categories are under examination. Pending decision, the normal replacement pay structure as in the First Schedule, would apply).

*U.K. Tiwari*  
(U.K. Tiwari)

Dy. Director, Pay Commission-VI  
Railway Board

No. PC-VI/2008/I/RSRP/1

dated 17-03-2009.

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.

*[Signature]*  
for Financial Commissioner (Railways)

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
(रेल मंत्रालय)

क्रम संख्या पी सी-6/86

आर बी ई सं.49/2009

सं. पी सी-6/2008/आई/आरएसआरपी/1

नई दिल्ली, दि. 17.03.2009

महाप्रबन्धक/मुख्य प्रशासनिक अधि. (आर)  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां  
( डाक सूची के अनुसार)

विषय : रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 - संशोधित वेतनमानों का शिड्यूल

इस मंत्रालय के दिनांक 11.09.2008 के पत्रांक पी सी-6/2008/आई/आरएसआरपी/1 (आरबीई सं. 108/2008 ) द्वारा जारी तथा इस मंत्रालय के दिनांक 22.09.2008 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं. 124/2008 ), दिनांक 31.10.2008 के समसंख्यक पत्र ( आरबीई सं. 162/2008) एवं 19.11.2008 के समसंख्यक पत्र ( आरबीई सं. 184/2008) द्वारा संशोधित शिड्यूल के संलग्नक 'ख' की निरंतरता में राष्ट्रपतिजी ने निर्णय लिया है कि निम्नांकित को दर्शाये गये स्थान पर अंतःस्थापित किया जाये :-

क्रम सं.	पद	वर्तमान वेतनमान (रु.)	संशोधित वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन		
			वेतन बैंड का नाम	समकक्ष वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)
1	2	3	4	5	6

7 सिगनल एवं दूरसंचार इंजिनियरिंग विभाग:

7.3 टेलिफोन आपरेटर :

(i) अधीक्षक ( टेलिफोन ) 6500-10500 पीबी-2 9300-34800 4600

(छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की कुछ अन्य कोटियों के बारे में अनुशंसायें अभी निरीक्षणार्थीन हैं। निर्णय होने तक सामान्य प्रतिस्थापन वेतन ढांचा जोकि प्रथम शिड्यूल में दिये गये हैं, लागू होगा।)



(यू.के. तिवारी)

उप निदेशक/वेतन आयोग-VI  
रेलवे बोर्ड